एच0सी0 अवस्थी
आई.पी.एस.

अ0शा0 पत्रांकःडीजी- ०२ /2021
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

दिनांकःलखनऊःजनवरी १० ,2021

विषयः **पुलिस कर्मियों के जनसामान्य/गणमान्य व्यक्तियों के साथ मर्यादित व्यवहार करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।**

प्रिय महोदय/महोदया,

पुलिस कर्मियों के जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार करने के संबंध में इस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं परन्तु इनका प्रभावी अनुपालन न होने से पुलिस कर्मियों द्वारा गणमान्य व्यक्तियों/जनसामान्य के साथ उचित व्यवहार न किए जाने के प्रकरण प्रकाश में आते रहते हैं, जिसके कारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस बल एक अनुशासित विभाग है तथा नागरिकों के बीच पुलिस की स्वच्छ छवि एवं विश्वसनीयता पर हमारी पूर्ण कार्यप्रणाली आधारित है। अभी हाल ही में जनपद प्रयागराज में पुलिस कर्मी द्वारा एक गणमान्य व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार न करने का मामला संज्ञान में आया है. जिसके कारण सम्बन्धित पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही भी की गयी है। अतएव पुलिस कर्मियों के जनसामान्य के साथ मर्यादित एवं शिष्ट व्यवहार के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में निम्नांकित बिन्दु अनुपालनार्थ प्रेषित हैः–

डीजी–परिपत्र संख्या–11/2002 दिनांक 10.09.2002
डीजी–परिपत्र संख्या–53/2013 दिनांक 25.09.2013
डीजी–परिपत्र संख्या–19/2017 दिनांक 25.07.2017
डीजी–परिपत्र संख्या–31/2020 दिनांक 10.09.2020
डीजी–परिपत्र संख्या–34/2020दिनांक 14.10.2020

(1) जनपद में चलाए जाने वाले किसी अभियान/चेकिंग के दौरान रूट डायवर्जन की स्थिति में डायवर्जन प्वाइन्ट पर लगाए जाने वाले पुलिस कर्मियों को सड़क से गुजरने वाले वाहनों/व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन देने एवं सभी के साथ मर्यादित व्यवहार करने के संबंध में ड्यूटी से पूर्व भली–भॉति ब्रीफ कर दिया जाए।

(2) अभियान/चेकिंग के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अपना परिचय दिए जाने अथवा परिचय पत्र दिखाए जाने पर एवं विशेषकर महिलाओं के साथ होने पर उनके परिचय को संवेदनशीलता से संज्ञान लेकर उनके साथ संवाद के दौरान शालीनतापूर्वक व्यवहार कर उनका पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

(3) अभियान/चेकिंग के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, गणमान्य व्यक्तियों, भद्र पुरूष व महिलाओं के साथ पुलिस कर्मी शिष्ट एवं मर्यादित आचरण करते हुए उनका सहयोग कर यथासम्भव मद्द की जाए।

(4) संबंधित प्रभारी का यह दायित्व होगा कि अभियान/चेकिंग ड्यूटी में लगाए जाने वाले पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से पूर्व उनके कर्तव्यों एवं जनसामान्य के साथ मर्यादित आचरण करने के संबंध में भली–भॉति ब्रीफ अवश्य किया जाए।

(5) पुलिस कर्मियों के जनता के साथ मर्यादित आचरण एवं उनके व्यवहार परिवर्तन के संबंध में जनपद प्रशिक्षण इकाई (DTU) में चरणबद्ध रूप से रोस्टर बनाकर समस्त पुलिस कर्मियों को साफ्ट रिकल का प्रशिक्षण कराया जाए तथा प्रशिक्षण के उपरान्त समय–समय पर रिफेशर कोर्स भी कराया जाए।

(6) जनपद में प्रत्येक माह होने वाले सी0ई0आर0 प्रशिक्षण में साफ्ट रिकल पर भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

(7) पुलिस से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के व्यवहार परिवर्तन/साफ्ट स्किल विषय को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर विषय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए।

(8) पुलिस कर्मियों के साफ्ट स्किल पर प्रशिक्षण हेतु सेवानिवृत्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं स्थानीय विषय विशेषज्ञों की भी सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। अतएव मैं चाहूंगा कि आप पुलिस कर्मियों के मर्यादित आचरण/व्यवहार परिवर्तन के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं का अपने निकट पयवेक्षण में प्रभावी कार्यवाही/अनुपालन कराएं, ताकि पुलिस की छवि जनमानस में अच्छी बनी रहे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(एच0सी0 अवस्थी)

पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षिक, उत्तर प्रदेश।